आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी की हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
18.7.2018	(see below)	

उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा।

वाद- R.M.A. Case no.- 36/2017-18

पंकज दे **बनाम** नेहाली राय एवं अन्य

आदेश

प्रस्तुत रेभेन्यू मिसलेनियस अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा द्वारा R.E. Case no.- 19/2012-13 में दिनांक-08.11.2017 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। नेहाली राय, पति-स्व0 हरि राय एवं गणेश राय, पिता- स्व0 हरि राय द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय, जामताड़ा में R.E. Case no.- 19/2012-13 में मौजा- बुटबेड़िया, खाता सं0-24/18 के दाग सं0-299/ए, 296, 297, 298, 237 एवं 294 से श्री पंकज दे को उच्छेद करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया। विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उक्त वाद में दिनांक-08.11.2017 को आदेश पारित किया गया जिसमे उल्लेख किया गया कि पंकज दे को उक्त भू दागों से संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 में निहीत प्रावधानों के अन्तर्गत उच्छेद किया जाता है।

अपीलकर्त्ता के आवेदन का अवलोकन किया एवं अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता को भी सुना। विज्ञ अधिवक्ताओं का कहना है कि मौजा- बुटबेड़िया सरदारी सार्किल मिहिजाम खाता सं0-24/18, दाग सं0-299, 296, 297, 298, 237 एवं 294 गत सर्वे खतियान में पानो घट्वालिन पति- चेतु राय के नाम पर दर्ज है। खतयानी रैयत पानो घट्वालिन के द्वितीय पुत्री गुजरी घट्वालिन के पुत्र स्व0 विराज राय की पत्नि फलमणी राय है। खतियानी रैयत पानो घट्वालिन के प्रथम पुत्री मोटरी घट्वालिन के पुत्र स्व0 हरि राय की पत्नि नेहाली राय है।

विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अपने आदेश में अंकित किया गया कि पंकज दे (विपक्षी) को निर्देशित करने के बावजूद भी उनके द्वारा न्यायालय में कोई साक्ष्य/ प्रमाणिक कागजात समर्पित नहीं किया गया, जिससे प्रश्नगत जमीन फुलमणी राय के हिस्से के होने तथा उक्त जमीन पर आवेदिका एवं फुलमणी राय के साथ Deed of Partnership बनाकर विपक्षी का संयुक्त रूप से व्यावसाय चलाने की कही गयी बात की प्रामाणिकता सिद्ध हो। निबंधन कार्यालय, जामताड़ा में दिनांक-24.04.2013 को किये गये निबंधित Amendment of Partnership Deed में पंकज दे, सत्यपाल यादव एवं फुलमणी राय द्वारा अपने Attorny holder मिस्टर सत्यपाल यादव, नेहाली राय, धिरेन्द्र सेन एवं स्वपन राय साझेदार के रूप में अंकित है। हिस्से का निर्धारण इस वाद का विषयवस्तु नहीं था फिर भी अनुमण्डल पदाधिकारी के द्वारा हिस्सा निर्धारण हेतु प्रमाणिक कागजातों की माँग की गई एवं प्रश्नगत भूमि में सहहिस्सेदार को निर्णित करने का प्रयास यथोचित साक्ष्यों के परीक्षण किये बिना ही किया गया। अतः अनुमण्डल पदाधिकारी के आदेश के उक्त अंश को खारित किया जाता है।

निम्न न्यायालय के पारित आदेश एवं अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन एवं संलग्न कागजातों का अनुशीलन करने पर ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि के खतियानी रैयत के वंशज के दो पुत्री नेहाली राय एवं फुलमणी राय द्वारा किसी अन्य गैर वंशज व्यक्ति के साथ संयुक्त व्यावसाय किया जा रहा था। इनमें से एक पुत्री श्रीमती नेहाली राय के द्वारा श्री पंकज दे को उक्त भूमि से उच्छेद करने के लिए आवेदन दाखिल करना संयुक्त व्यावसाय में मतान्तर को दर्शाता है। खतियानी रैयत के जमीन पर उक्त रैयत वंशज से भिन्न अन्य व्यक्ति का दखल कब्जा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल है। अतः प्रश्नगत भूमि के स्वामित्व या हिस्सा के बिंदू पर विचार किये बिना मैं यह पाता हूँ प्रश्नगत मामलें में विवादित जमीन पर अपीलकर्त्ता श्री पंकज दे का दखल संथाल परगना कास्तकारी अधिजियम 1949 के प्रावधानों के प्रतिकूल है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रश्नगत भूमि का किसी भी प्रकार से अन्य व्यक्ति के पक्ष में दखल या स्वामित्व का हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता है।

अतः अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

(हस्ताक्षर)
उपायुक्त,
जामताड़ा।

(हस्ताक्षर)
उपायुक्त,
जामताड़ा।

Sent for ADV 5.10.18

Seen 29/9/2018

DB 53 dt 29.9.018

f:\dc court order pankaj dey & [illegible]

Scanned with CamScanner